



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 01.08.2025

विषय:- थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा चैन स्नैचिंग के मामले में वांछित 04 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के कब्जे से 18000/- रुपये नगद व 02 एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के कुशल नेतृत्व में थाना शिवपुर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 304(2)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी का अनावरण करते हुए वांछित 04 नफर अभियुक्तगण 1. राज आनंद मौर्य पुत्र मनोज मौर्य निवासी ग्राम कोईरान चमाव थाना शिवपुर वाराणसी 2. हिमांशु मौर्या पुत्र बल्लू उर्फ लोकनाथ मौर्या निवासी कोईरान चमाव थाना शिवपुर वाराणसी 3. वासु सेठ पुत्र स्व0 अमरनाथ सेठ निवासी S 29/98 लालजी कुंआ थाना शिवपुर वाराणसी 4. अंकित पाण्डेय पुत्र स्व0 जयनाथ पाण्डेय उर्फ टुनटुन निवासी कोईरान चमाव थाना शिवपुर वाराणसी को आज दिनांक 01.08.2025 को समय करीब 05.10 बजे गणेश नगर कॉलोनी भेल फैक्ट्री के बाउंड्री वॉल के पास बंद पड़े खंडहरनुमा मकान शिवपुर वाराणसी से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से छिनी हुई चैन की बिक्री के 18000/- रुपये नगद व 02 एन्ड्राइड मोबाइल फोन बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार थाना शिवपुर द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण -

दिनांक 27.06.2025 को वादी मुकदमा ने अज्ञात लड़को द्वारा वादी के गले से सोने की चैन छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना शिवपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विशाल कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राज आनंद मौर्य पुत्र मनोज मौर्य निवासी ग्राम कोईरान चमाव थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष ।
2. हिमांशु मौर्या पुत्र बल्लू उर्फ लोकनाथ मौर्या निवासी कोईरान चमाव थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 18 वर्ष ।

3.वासु सेठ पुत्र स्व० अमरनाथ सेठ निवासी S 29/98 लालजी कुंआ थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 18 वर्ष ।

4.अंकित पाण्डेय पुत्र स्व० जयनाथ पाण्डेय उर्फ टुनटुन निवासी कोईरान चमाव थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

छीनी हुई चैन की बिक्री के 18000/- रुपये ,02 एन्ड्राइड मोबाइल फोन ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त राज आनंद ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 23.06.2025 को रात्रि लगभग 10.00 बजे मैं और मेरे साथी हिमांशु ने मिलकर रास्ते में टहल रहे व्यक्ति के गले से झपट्टा मार चैन छीनकर भाग गये थे तथा छीनी हुई चैन बेचकर कुछ नगद प्राप्त किये थे जिसे हम लोगो ने बराबर बराबर बाट लिया था । आज हम सभी लोग बचे हुए पैसे बाटने के लिए इकट्ठा हुए थे और पकड़ लिए गये ।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –

गणेश नगर कॉलोनी भेल फैक्ट्री के बाउंड्री वॉल के पास बंद पड़े खंडहरनुमा मकान शिवपुर वाराणसी से, दिनांक 01.08.2025 समय करीब 05.10 बजे ।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राज आनंद मौर्य

1.मु०अ०सं० 715/2020 धारा 147/308/323/354(ख)/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

2.मु०अ०सं० 290/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

अभियुक्त अंकित पाण्डेय

1.मु०अ०सं० 476/2024 धारा 110/115(2)/352/351(2) बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

2. मु०अ०सं० 067/2025 धारा 110/115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

3.मु०अ०सं० 031/2024 धारा 147/308/323 भादवि थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

4.मु०अ०सं० 464/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

5.मु०अ०सं० 170/2025 धारा 115(2)/117(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

6.मु०अ०सं० 290/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

अभियुक्त वासु सेठ व अंकित पाण्डेय

1. मु०अ०सं० 290/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० विशाल कुमार सिंह, हे०का० संजय कुमार यादव, हे०का० रामबाबू, का० बलराम वर्मा, का० बालमुकुंद मौर्य, का० ज्ञानेंद्र कुमार यादव थाना शिवपुर कमि० वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।

